30/8/14

पत्रा. पेश हुई। अनु-34-1 वादी का वाद-पत्र आंशिक स्वीकार किया जाकर विवादित आराजी हाल खसरा नं. 836/0.41 हेक्टे. वाके ग्राम खबास पुर. मनोहरपुर, जो साबिक ख. नं. 247 रकबा 1 बी. 12 बि. से बना है, पर वादीगण को न्यायालय श्रीमान राजस्व अपील प्राधिकारी, भरतपुर के आदेश को दृष्टिगत रखते हुए मुताबिक रिपोर्ट दिनांक 25/10/2013 के नियमानुसार अग्रिम कार्यवाही हेतु तहसीलदार नदबई को आदेशित किया जाता है। निर्णय पृथक से लिखवाया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम की जाकर दाखिल दफ्तर हो।

प्रतिवादीगण

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी नदबई (भरतपुर)
(पीठासीन अधिकारी श्री गंगाधर मीणा R.A.S.)

प्रकरण सं. 45/2014

जीसीएमएस न. 2014/00057

किस्म दावा 88,89,188 आर.टी.ए.

निर्णय दिनांक 30.09.2024

1. ओमप्रकाश पुत्र किस्तूरी वेवा भगवान जाति हैवासी ब्राह्मण निवासी खबासपुर मनोहरपुर तहसील नदबई (भरतपुर)

वादी

बनाम

2. लक्ष्मन प्रसाद पुत्र सूरजमल जाति हैवासी ब्राह्मण निवासी खबासपुर मनोहरपुर तहसील नदबई (भरतपुर)
3. ठाकुरलाल पुत्र सूरजमल जाति हैवासी ब्राह्मण निवासी खबासपुर मनोहरपुर तहसील नदबई (भरतपुर)
4. रामकुंवर पुत्र सूरजमल जाति हैवासी ब्राह्मण निवासी खबासपुर मनोहरपुर तहसील नदबई (भरतपुर)
5. चन्द्रवती वेवा सूरजमल जाति हैवासी ब्राह्मण निवासी खबासपुर मनोहरपुर तहसील नदबई (भरतपुर)
6. रामुंवर पुत्र वृजलाल जाति हैवासी ब्राह्मण निवासी खबासपुर मनोहरपुर तहसील नदबई (भरतपुर)
7. बृजमोहन पुत्र मनीराम जाति हैवासी ब्राह्मण निवासी खबासपुर मनोहरपुर तहसील नदबई (भरतपुर)
8. बाबू पुत्र मनीराम जाति हैवासी ब्राह्मण निवासी खबासपुर मनोहरपुर तहसील नदबई (भरतपुर)
9. हरदयाल पुत्र रामहरी जाति हैवासी ब्राह्मण निवासी खबासपुर मनोहरपुर तहसील नदबई (भरतपुर)
10. राजस्थान सरकार जरिये जिला कलक्टर भरतपुर
11. तहसीलदार नदबई।

30/9/24

प्रतिवादीगण

उपस्थित श्री रघुवीरशरण एड0 (वादीगण)

श्री लक्ष्मणसिंह एडवो0 (प्रतिवादीगण)

:: निर्णय ::दावा 88,89,188 आर.टी.ए.

वादीगण की ओर से दावा अन्तर्गत धारा 88, 89, 188 आरटीए के तहत् पेश किया गया , जो संक्षिप्त में निम्नानुसार है–

1. यह कि वादीगण एवं प्रतिवादीगण वाद के लिए पूर्ण सक्षम व्यक्ति हैं।
2. यह कि विवादित आराजी हाल खसरा न. 336 रकवा 0.41 है. वाके ग्राम खवासपुर मनोहरपुर तहसील नदबई में स्थित है।
3. यह कि उक्त हाल खसरा न. 336 रकवा 0.41 है. साबिक खसरा न. 247 रकवा 1 बीघा 12 बिस्वा से बना है। इस संदर्भ में नकल मिलान क्षेत्रफल सं. 2060 पेश है।
4. यह कि साबिक खसरा न. 247 रकवा 1 बीघा 12 बिस्वा का दिनांक 01.11.79 को वादी की दत्तक माता किस्तूरी बेबा भगवान जाति ब्राह्मण को नियमन किया गया था, तथा नामान्तकरण सं. 41 ग्राम मनोहरपुर तहसील नदबई के वादी की दत्तक माता मु. किस्तूरी बेबा भगवान जाति ब्राह्मण का गैरखातेदारी का इन्द्राजात किया गया। जिसका अंकन जमाबंदी सं. 2035 लगायत 2038 में वादी की दत्तक माता का गैरखातेदारी का इन्द्राजात किया गया है तभी से वादी की माता किस्तूरी का सभी जमाबंदियों एवं सभी खसरा गिरदावरियों में बदस्तूर सं. 2064–67 तक इन्द्राजात गैरखातेदारी का चला आ रहा है, तथा वादी की माता किस्तूरी विवादित आराजी पर आवंटन की तिथि दिनांक 01.11.79 के पूर्व से ही अपने जीवनकाल तक बदस्तूर काबिज चली आ रही थी।
5. यह कि वादी की दत्तक माता मु. किस्तूरी की मृत्यु के वाद नामान्तकरण सं. 132 से गोदनामा के आधार पर मुझ वादी का मु. किस्तूरी के विरासतन से गैरखातेदारी का इन्द्राजात किया गया जिसका अंकन नकल जमाबंदी सं. 2064–2067 में है इसके वाद सभी जमाबंदीयों एवं खसरा गिरदावरीयों में आज तक मुझवादी का विवादित आराजी पर गैरखातेदारी का इन्द्राजात हो रहा है, तथा वादी अपनी दत्तक माता की मृत्यु के बाद से आज तक विवादित आराजी पर काबिज चली आ

30/9/24

रहा है। वर्तमान में वादी ने सरसों की फसल बोई थी जो काटली है। मौके पर अब उक्त विवादित आराजी खाली है। इस प्रकार से विवादित आराजी पर कब्जा 35 बर्षा से अधिक समय से हो रहा है। तथा विवादित आराजी वादी एवं वादी की दत्तक माता का गैरखातेदारी का इन्द्राजात आवंटन की तिथि से आज तक बदस्तूर चला आ रहा है।

6. यह कि वादी विवादित आराजी पर अपनी खातेदारी दर्ज कराने हेतु एक प्रार्थना पत्र दिनांक 17.09.2013 को प्रतिवादी सं. 10 तहसीलदार नदबई के समक्ष पेश किया। जिस पर प्रतिवादी सं. 10 ने भू अभिलेखाधिकारी से इस संबंध में रिपोर्ट मांगी जिस पर भूअभिलेखाधिकारी नदबई ने दिनांक 25.10.13 को स्पष्ट रिपोर्ट की है कि विवादित आराजी पर वादी का कब्जा पाया गया, खातेदारी की शर्त का पालन करना बताया गया, परन्तु इसके बाबजूद भी प्रतिवादी सं. 10 ने स्थगन आदेश का बहाना लगाकर विवादित आराजी पर खातेदारी के इन्द्राजात नहीं किये। दिनांक 24.12.13 को प्रतिवादी सं. 10 ने वादी यह भी धमकी दी है कि वादी का आवंटन निरस्त हो गया है, जिस पर विवादित आराजी को कब्जे राज लेकर रिकॉर्ड में सिवायचक दर्ज करने की धमकी दी है। जबकि वादी को आवंटन का निरस्त होने का कोई जानकारी नहीं है। इसके बाबजूद भी विवादित आराजी पर वादी माता एवं उसकी मृत्यु के बाद वादी का आवंटन 35 वर्षों से अधिक समय से विवादित आराजी पर काबिज चला आ रहा है, तथा रिकॉर्ड में वादी की माता एवं वादी की गैरखातेदारी का इन्द्राजात एवं काश्तकारी का इन्द्राजात बदस्तूर चला आ रहा है तथा आज तक वादी माता एवं वादी को विवादित आराजी से बेदखल नहीं किया गया है। ऐसी स्थिति में वादी को विवादित आराजी पर एडवर्स पजेशन के आधार पर खातेदारी के अधिकार प्राप्त हो चुके है, तथा वादी विवादित आराजी पर अपने आपको खातेदार घोषित करा पाने का अधिकारी है तथा रिकॉर्ड में वादी के हक में हो रहे गैरखातेदारी को इन्द्राजात को कलमजन करा कर वादी खातेदारी के इन्द्राजात करा पाने के अधिकारी है।

7. यह कि प्रतिवादीगण सं. 1 लगायत 8 का विवादित आराजी से किसी प्रकार का कोई संबंध सरोकार नहीं है तथा रिकॉर्ड में विवादित आराजी पर किसी प्रकार कोई इन्द्राजात नहीं है। और न ही विवादित आराजी पर काबिज है, परन्तु प्रतिवादी सं. 1 लगायत 8 ने अपने वादपत्र के माध्यम से दिनांक 18.05.2014 को वादी को

धमकी दी है कि हम प्रतिवादीगण को विवादित आराजी में से 8 बिस्वा यानि 16 एयर का अवंटन हो गया है, तथा विवादित आराजी में से 8 बिस्वा यानि 16 एयर का आवंटन हो गया है तथा विवादित आराजी में 8 बिस्वा पर कब्जा करके रहेगे तथा वादी को विवादित आराजी में से बेदखल करके रहेंगे जबकि प्रतिवादीगण सं. 1 लगायत 8 को आजतक विवादित आराजी में से 8 बिस्वा यानि 10 एयर का किसी प्रकार की आवंटन की कार्यवाही नहीं की गई है, तथा वादी को आज तक विवादित आराजी पर उसके गैरखातेदारी के इन्द्राजात को कलमजन करके सिवायचक दर्ज ही किये है ऐसी स्थिति में प्रतिवादीगण सं. 1 लगायत 8 को किस आधार पर विवादित आराजी में से 8 बिस्वा यानि 16 एयर का आवंटन किया जा सकता है, और न ही प्रतिवादीगण आज तक विवादित आराजी पर काबिज है, ओर न ही प्रतिवादीगण की 8 बिस्वा पर विवादित आराजी पर किसी प्रकार का इन्द्राज हुआ है, परन्तु प्रतिवादीगण सं. 1 लगायत 8 कानून को अपने हाथ में लेकर जबरन विवादित आराजी पर वादी के इन्द्राजात को कानून के विरूद्ध कलमजन करके सिवायचक दर्ज करने को प्रयत्नशील है। इस धमकी प्रतिवादीगण ने दिनांक 24.12.13 को वादी को दी है यदि प्रतिवादीगण उक्त धमकी में कायय़ाब हो गये तो वादी को अजीम क्षति होगी जिसकी पूर्ति जरिये नकद नहीं हो सकेगीं।

8. यह कि वादी विवादित आराजी जो वादपत्र की मद सं. 2 में अंकित है पर वादी को खातेदार काश्तकार घोषित किया जावेगा तथा रिकॉर्ड में वादी के हक में हो रहे गैरखातेदारी के इन्द्राजात को कलमजन करके इन्द्राजात किये जावे, एवं प्रतिवादीगण को हुक्मइम्तनाईदवामी की डिक्री से पाबंद किया जावे कि वह विवादित आराजी में रिकॉर्ड व मौके की यथास्थिति बनाये रखें।

वादीगण का वादपत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। प्रतिवादीगण की ओर से श्री लक्ष्मणसिंह एडवोकेट द्वारा जबाब दावा पेश किया गया। जो निम्नानुसार है–

1. यह कि वादपत्र की मद संख्या 1 गौर अदालत है न्यायालय श्रीमान के क्षेत्राधिकार में होने के कारण सुनवाई का पूर्ण अधिकार प्राप्त है। बाकी वादपत्र में कामयाबी की कोई उम्मीद नहीं है।
2. यह है कि वाद पत्र की मद संख्या 2 अस्वीकार है, आराजी खसरा नम्बर वाके ग्राम मनोहरपुर तहसील नदबई में होना स्वीकार है।

30/9/24

3. यह है कि वाद पत्र की मद संख्या 3 अस्वीकार है।

4. यह है कि वाद पत्र की मद संख्या 4 अस्वीकार है, वादी ने अपनी मां की गैरखातेदारी का रकवा अंकित किया है। जो गलत है क्योंकि वादी की मां किस्तूरी ने एक वाद पत्र संख्या 385/86 व उनवानी किस्तूरी बनाम गनीराम का खसरा नम्बर 247 रकवा 1 बीघा 12 विस्वा पर वाद न्यायालय श्रीमान एसीएम साहब नदबई के यहां चला था। तथा अपील श्रीमान राजस्व अपील अधिकारी भरतपुर अपील संख्या 240/81 व उनवानी सूरजमल बनाम राजस्थान सरकार बगै0 निर्णय व दिनांक 12.01.1983 के खिलाफ न्यायालय राजस्व मण्डल अजमेर के निर्णय दिनांक 24.08.1990 को अन्तिम आदेश पारित किया गया है। इसलिए उक्त वाद पत्र न्यायालय श्रीमान में किस्तूरी के वारिस के द्वारा पेश किया गया है। जो चलने योग्य नही है। एवं 11 सी0पी0सी0 का नियम लागू होता है। इसलिए वाद वादी काबिल खारिजी के है।

5. यह है कि वाद पत्र की मद संख्या 5 अस्वीकार है।क्योंकि वादी का मौके पर उक्त आराजी पर कोई कब्जा नहीं है तथा न ही कोई फसल बोई गई है। उक्त रकवा न्यायालय श्रीमान राजस्व मण्डल अजमेर के निर्णय से आज तक खाली पडा हुआ है। यह सभी तथ्य मनगठन्त है।

6. यह है कि वाद पत्र की मद संख्या 6 अस्वीकार है, क्योंकि वादी ने कोई मौका रिकॉर्ड नही मंगाई है। जो अन्य खसरा नम्बर की है। क्योंकि वादी ने अपने वाद पत्र की संख्या 6 में स्वीकार किया है कि न्यायालय राजस्व मण्डल अजमेर ने पट्टा निरस्त कर दिया है। इसलिए वाद काबिल खारिजी के है।यह है कि वाद पत्र की मद संख्या 7 अस्वीकार है, प्रतिवादीगण द्वारा वादी को दिनां 18.05.2014 या अन्य किसी दिनांक को धमकी नही दी गई।

7. यह है कि वाद पत्र की मद संख्या 8 कानूनी है। जो काबिल गौर अदालत हे।

8. यह है कि वाद पत्र की मद संख्या 9 अस्वीकार है, प्रतिवादीगण द्वारा वादी को दिनां 18.05.2014 या अन्य किसी दिनांक को धमकी नही दी गई।

9. यह है कि वाद पत्र की मद संख्या 10 कानूनी है जो कि काबिल गौर अदालत है।

10. यह है कि वाद पत्र की मद संख्या 11 कानूनी है जो कि काबिल गौर अदालत है।

30/9/24

अतः प्रार्थना है कि वादी का वाद कायिम खारिजी के है। क्योंकि नकल निर्णय आरएए , भरतपुर एवं राजस्व मण्डल अजमेर जवाब दावा के साथ पेश है। इसलिए उक्त निर्णय को देखते हुए दावा वादी को इसी स्टेज पर खारिज करा पाने के अधिकारी है।क्योंकि जो दावा पूर्व में न्यायालय श्रीमान के निर्णय से हो चुका है। अब पुनः इस न्यायालय में नहीं चल सकता है। यह 11 सी0पी0सी0 का नियम है।

वादीगण के वादपत्र एवं प्रतिवादी के जबाव दावा के विवेचन के आधार पर न्यायालय द्वारा निम्नांकित तनकीयात कायम की गई :–

1.आया वादी विवादित आराजी के खातेदार काश्तकार घोषित करा पाने के अधिकारी है, गैर खातेदारी के इन्द्राज कलमजन हो।

– जिम्मेवादी

2.आया दावा पूर्व में निर्णित होकर राजस्व मण्डल अजमेर तक निर्णित हो चुका है। अतः 11 सी0पी0सी0 के तहत खारिज किया जावे ।

– जिम्मेप्रतिवादी

वादीगण द्वारा अपने दावे के समर्थन में दस्तावेजी साक्ष्य के रूप में नकल मुकदमा ओमप्रकाश बनाम लक्ष्मण बगै0 अन्तर्गत धारा 75–76 एल आर एक्ट मु0स0 01/2019 ऑर्डरशीट दिनांक 09.04.2019 से दिनांक 10.12.19, नकल गिरदावरी संवत 2072, नकल अपील आरएए भरतपुर मु0 उनवानी ओमप्रकाश बनाम लक्ष्मण बगै0 निर्णय आरएए भरतपुर दिनांक 12.01.83, अपील सूरजमल बनाम राज. सरकार, नकल निर्णय बोर्ड अजमेर दिनांक 24.08.90, नकल आवंटन आदेश 30.06.98, नकल खसरा गिरदावरी संवत 2029–32 पेश की गई। नकल पट्टा हाल जमाबंदी संवत 2064–67, नकल मिलान क्षेत्रफल संवत 2060, पेश किये गये, एवं श्री हरदयाल, नेकराम निवासी मनोहरपुर तहसील नदबई के लिखित बयान पीडब्ल्यू–1 पेश किये गये।

प्रतिवादी की ओर से अपने समर्थन में दस्तावेजी साक्ष्य के रूप में नकल निर्णय बोर्ड अजमेर दिनांक 24.08.90, नकल न्यायालय आरएए भरतपुर मु0 उनवानी सूरजमल बनाम राजस्थान सरकार निर्णय दिनांक 12.01.83, नकल आवंटन आदेश 30.06.98,, नकल जमाबंदी संवत 2068–71, 2060–63, 2035--38, वाके ग्राम

30/9/24

खवासपुर व मनोहरपुर, नकल मिलान क्षेत्रफल संबत 2060, नकल खसरा गिरदावरी संवत 2043–68 तक तथा निर्णय दिनांक 21.08.12 उपखण्ड अधिकारी नदबई, वादपत्र सं. 76/12 दस्तावेजी साक्ष्य एवं श्री ओमप्रकाश दत्तक पुत्र किस्तूरी वाके ग्राम खवासपुर, भीम पुत्र हरिकिशन वाके ग्राम बरौलीरान मौखिक साक्ष्य पेश किये गये।

बहस अंतिम उभयपक्षकारान की विद्वान वकीलों की सुनी गयी। वादीगण के वकील द्वारा बहस दौरान अपने वाद पत्र में वर्णित तथ्यों को दोहराया गया, निर्णय तनकीवार निम्न प्रकार है :–

1.तनकी संख्या :01 –आया वादी विवादित आराजी के खातेदार काश्तकार घोषित करा पाने के अधिकारी है, गैर खातेदारी के इन्द्राज कलमजन हो। – उक्त तनकी को सिद्ध करने का भार वादीगण का था। वादीगण द्वारा प्रस्तुत नकल जमाबंदी हाल में वर्णित खसरा न. 336 रकवा 0.41 है. वाके ग्राम खवासपुर में स्थित है, जिस पर ओमप्रकाश पिसरान मु.किस्तूरी बेवा भगवानसिंह कौम हैवासी ब्राह्मण साकिन देह गैरखातेदार इंतकाल सं. 133 दर्ज रिकॉर्ड है, उक्त खसरा न. गत खसरा न. 247 रकवा 1 बीघा 12 बिस्वा से बना है, तथा खसरा न. 247 संबत 2035–38 में सिवायचक बंजर दर्ज रिकॉर्ड रही है। (प्रदर्श–06) उक्त जमीन पर वादी की माता किस्तूरी काबिज काश्त थी तथा दिनांक 01.11.79 को नामांतकरण सं. 46 से किस्तूरी बेवा भगवानसिंह के नाम गैरखातेदारी के रूप में दर्ज रिकॉर्ड की गई। (जमाबंदी संवत 2039–42 प्रदर्श–8)। विवादित आराजी पर संवत 2029 से पूर्व का कब्जा होने के कारण ही विनियमन किया गया है। उसके विरूद्व धारा 91 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 के तहत कार्यवाही की गई थी। और जांच करवाने के पश्चात 31.12.75 व 24.03.75 को तहसीलदार ने उसके हक में विनियमन करने की सिफारिश की तथा सलाहकार समिति की सिफारिश पर ही उसे भूमिहीन मानते हुए इसका दिनांक 01.11.1989 को विनियमन किया गया है। जिसमें किसी विनियमन संबंधी प्रावधान की अवहेलना नहीं हुई है। प्रतिवादीगण का विवादित आराजी पर कभी कोई कब्जाकाश्त नहीं रहा। विवादित आराजी पर पूर्व में एक दावा पेश किया गया था जिसमें सक्षम न्यायालय ने प्रतिवादीगण का कोई कब्जा न मानते

30/9/24

हुए दावा खारिज कर दिया गया था। अतः इससे प्रतिवादीगण के कब्जाकाश्त न होने की पुष्टि होती है। विवादित आराजी पर वादी ओमप्रकाश के नाम गैर खातेदारी के इन्द्राज विरासत से नामान्तरण संख्या 133 से आये है। भू–अभिलेख निरीक्षक रिपोर्ट दिनांक 25.10.2013 से भी अपीलांट का बखूवी कब्जा साबित होता है। वर्तमान में इन्द्राज वादी के नाम है। प्रतिवादीगण के नाम नये आवंटन आदेश का आज तक किसी भी राजस्व रिकॉर्ड में अमल नहीं हुआ है। मुताबिक भू0 अभिलेख निरीक्षक की रिपोर्ट दिनांक 25.10.2013 प्रार्थी गैर खातेदार है, तथा प्रार्थी द्वारा काश्त की जा रही है। प्रार्थी खातेदारी चाहता है तथा आवंटी आवंटन शर्तों का पालन कर रहा है। अतः खातेदारी दिया जाना उचित है। अतः उक्त तनकी वादी के पक्ष में एवं प्रतिवादी के विरूद्ध तय की जाती है।

2. तनकी संख्या –2: आया दावा पूर्व में निर्णित होकर राजस्व मण्डल अजमेर तक निर्णित हो चुका है। अतः 11 सी0पी0सी0 के तहत खारिज किया जावे – उक्त तनकी को सिद्ध करने का भार प्रतिवादीगण का था। विवादित आराजीयात साबिक खसरा नंबर 247 रकबा 1 बीघा 12 बिस्वा बाके ग्राम मनोहरपुर का नियमन वादी की दत्तक माता किस्तूरी बेवा भगवान जाति ब्राह्मण को दिनांक 01.11.1979 को किया गया । क्योंकि वादी की मां किस्तूरी ने एक वादपत्र मुकदमा संख्या 385/86 व उनवानी किस्तूरी बनाम मनीराम का न्यायालय श्रीमान एसीएम साहब के यहां पेश किया था। उक्त मुकदमा की अपील न्यायालय श्रीमान राजस्व अपील प्राधिकारी भरतपुर अपील संख्या 240/81 वाउनवानी सूरजमल बनाम राजस्थान सरकार निर्णय दिनांक 12.01.1983 को अपील स्वीकार कर पट्टा खारिज किया गया । न्यायालय श्रीमान राजस्व अपील प्राधिकारी भरतपुर अपील संख्या 240/81 वाउनवानी सूरजमल बनाम राजस्थान सरकार निर्णय दिनांक 12.01.1983 की अपील माननीय राजस्व मण्डल अजमेर में की गई एवं न्यायालय श्रीमान राजस्व अपील प्राधिकारी भरतपुर के निर्णय को यथावत रखा गया। उक्त वादपत्र की नकल का अवलोकन करने पर स्पष्ट है कि पूर्व में निर्णित वाद पत्र में मुकदमा पक्षकार अलग–अलग थे एवं वादी द्वारा चाही गई रिलीफ भी समान नहीं थी; इसलिए धारा 11 सीपीसी समान पक्षकार एवं समान रिलीफ होने के कारण

30/1/25

लागू नहीं होता है। इसलिए तनकी संख्या 2 प्रतिवादी गण के विरूद्ध एवं वादीगण के पक्ष में तय की जाती है।

उपरोक्त तनकीवार निर्णय एवं पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्य के आधार पर वादी का वादपत्र आंशिक स्वीकार किया जाकर विवादित आराजी हाल खसरा नंबर 336 रकबा 0.41 हैक्ट वाके ग्राम खवासपुर मनोहरपुर, जो साबिक खसरा नंबर 247 रकबा 1 बीघा 12 बिस्वा से बना हुआ है, पर वादीगण को न्यायालय श्रीमान राजस्व अपील प्राधिकारी, भरतपुर के आदेश को दृष्टिगत रखते हुए मुताबिक रिपोर्ट दिनांक 25.10.2013 के नियमानुसार अग्रिम कार्यवाही हेतु तहसीलदार नदबई को आदेशित किया जाता है। पर्चा डिक्री जारी हों

निर्णय आज दिनांक 30.9.24 को खुले न्यायालय में लिखाया जाकर सुनाया गया। पत्रावली फैसलशुमार होकर नम्बर से कम की जाकर दाखिल दफ्तर हो।

30/9/24

(... R.A.S.)

उपखण्ड अधिकारी नदबई